न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला जयपुर

प्रार्थना पत्र संख्या...2/2021

तहसीलदार शाहपुरा . बनाम सुरेश चन्द वगैहर

अन्तर्गत धारा 131, 132 एल आर एक्ट 1956

निर्णय दिनांक 12/01/2021

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि तहसीलदार शाहपुरा के पत्र क्रमांक आरऐ/2021/ 160 दिनांक 25.11.2021 के द्वारा रास्ते संबंधी समस्याओ के निराकरण हेतु ग्राम देवन तहसील शाहपुरा के खसरा नम्बर 2271/1 रकबा 0.10 है0 में से 0.08 है0, ख0नं0 2272रकबा 0.09 है0 में से 0.0144 है0, ख0नं0 2273 रकबा 0.19 है0 में से 0.0224 है0, ख0नं0 2275 रकबा 0.30 है0 में से 0.0160 है0, ख0नं0 2179 रकबा 0.30 है0 में से 0.0160 है0 ख0नं0 2181 रकबा 0.21 है0 में से 0.0150 है0 खातेदारी भूमि में मौके पर चालू रास्ते के रूप में काम आने से राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में रास्ता दर्ज करने हेतु प्रकरण अन्तर्गत धारा 131, 132 एलआर एक्ट के तहत पेश किया गया । प्रकरण में अप्रार्थीगण / ,खातेदार सुरेशचन्द पुत्र बद्री, ने दोनो ओर से 8–8 फीट की चौडाई में रास्ता दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना तथा खातेदार रामशराण पुत्र रतनलाल जाट, मदन लाल पुत्र बालूराम, कल्लूराम पुत्र भूरा कुम्हार, गंगाराम पुत्र भूदाराम कुम्हार बन्नाराम पुत्र भूदउाराम कुम्हार हरीराम पुत्र बिरदूराम, हीरालाल पुत्र श्योनारायण, रतनलाल पुत्र श्योनाथ, प्रकाशचन्द पुत्र बिरदूराम, सुरजमल पुत्र महादेव जाट, मुंकेशकुमार पुत्र सरदारमल, मुरलीधर पुत्र छाजूराम, मोहन पुत्र भूदाराम कुम्हार ने उपस्थित होकर रास्ते हुत सहमति दी । शेष खातेदारों को विधिवत नोटिस जारी किया गया जिसमें श्री श्यामसुन्दर पुत्र कन्हैयालाल ने उपस्थित होकर भूमि कम होने की आपत्ति पेश की जिसमें सम्बन्ध में ग्रामवासियों व सरपंच ग्राम पंचायत देवन के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात जिसमें आपत्तिकर्ता स्वंय के द्वारा महानरेगा योजना में रास्ता हेतु तथा विधायक महोदय को रास्ता दर्ज करने हेतु निवेदन किया गया है आदि के आधार पर आपत्ति खारीज की जाती है तथा शेष अप्रार्थीगण खातेदार बावजूद सूचना के अनुपस्थित नहीं होने से यह माना जाकर प्रकरण का निस्तारण किया जाता है कि उनको कोई आपत्ति नहीं है। तहसीलदार शाहपुरा की रिपोर्ट के आधार प्रकरण अन्तर्गत धारा 131, 132 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रकरण के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया तथा यह साबित होना पाया गया कि उक्त प्रस्तावित रास्ते पर मौके पर रास्ता चालू होना साबित होता है। सरपंच ग्राम पंचायत के द्वारा भी मौके पर रास्ता चालू होने के कारण ग्राम पंचायत देवन के पारीत प्रस्ताव सं0 2 दिनांक 5.1.22 के द्वारा रास्ता दर्ज करने हेतु निवेदन करते हुए बताया है कि यह रास्ता ग्राम देवन व कां ट रोड से नगरपालिका सीमा शाहपुरा को जोड़ता है।इस प्रकार प्रकरण में पाया गया कि प्रस्तावित आम रास्ता जो मौके पर चालू है तथा एक खातेदार को छोडकर शेष खातेदारों को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति भी नहीं है तथा किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होकर कदीमी आम रास्ता होना सिद्व होता है। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार उक्त प्रस्तावित आराजी में मौके पर रास्ते के रूप में रास्ता चालू होना बताया है । इससे स्पष्ट है कि मौके पर भूमि रास्ते के ही काम आ रही है, साथ ही तहसीलदार शाहपुरा की रिपोर्ट में राजस्व रिकार्ड मे रास्ता दर्ज करने की अभिशंषा की है ।

अतः राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 राज0 भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 60 H, 66 व 86 एवं राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांकः प3(2)राज–6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 के अनुसरण में अनुसार देवन तहसील शाहपुरा के खसरा नम्बर 2271/1 रकबा 0.10 है0 में से 0.08 है0, ख0नं0 2272रकबा 0.09 है0 में से 0.0144 है0, ख0नं0 2273 रकबा 0.19 है0 में से 0.0224 है0, ख0नं0 2275 रकबा 0.30 है0 में से 0.0160 है0, ख0नं0 2179 रकबा 0.30 है0 में से 0.0160 है0 ख0नं0 2181 रकबा 0.21 है0 में से 0.0150 है0 खातेदारी भूमि में संलग्न नक्शा ट्रेस के अनुसार गै.मु.रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को आदेश जारी हो। पत्रावली निर्णित शुमार होकर बाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12/01/2021 को सरै इजलास सुनाया गया ।

(मनमोहन)

उपखण्ड अधिकारी

शाहपुरा (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी

शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)